15/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के
अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व पटवारी हल्का
कोठार बालीयान को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. /2022 GCMS NO: 2022/59
तारीख दर्जः–07.02.2022
निर्णय दिनांकः–15.05.2024

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. सोनी देवी पत्नि कुपाराम हि. पुर्ण जाति जणवा निवासी रडावा तहसील बाली जिला पाली

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::– दिनांक : 15.05.2024

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 842/116 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर सरहद मौजा ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में स्थित है। उक्त अराजी का प्रार्थी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थी वादग्रस्त अराजी के खातेदार काश्तकार है। यह है कि अप्रार्थी सोनी देवी पत्नि कुपाराम हि. पुर्ण ने जमीन वर्णित पैरा 01 वाद पत्र को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ यथा श्रीराम मार्बल के नाम से कारखाना लगाकर कृषि भूमि का दुरूपयोग किया जा रहा है, जो कृषि भूमि क्षेत्र के लिए हानिप्रद कृत्य हैं, जिसका अप्रार्थी को हक नहीं है। अप्रार्थी ने कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 20.01.2022 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने तहसीलदार बाली के आदेशानुसार ग्राम पुनाडिया का भ्रमण कर सर्वे किया तब अप्रार्थी द्वारा भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से गैर कृषि कार्यों के रूप में उपयोग करते पाए गए। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। वाद प्रार्थी मय शपथ–पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी विरूध अप्रार्थी डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाए तथा अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को दुरूपयोग नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आर.टी. एक्ट के तहत् दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। वकील अप्रार्थी जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करते हुए राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)राज–6/2001/32 दिनांक 28.05.2002 की प्रतिलिपि पेश कर सीधे प्रार्थना–पत्र पर बहस की।

बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार बाली की बहस है कि अप्रार्थिनी खातेदार की भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 842/116 में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य निरंतर किया जा रहा है जो टीनेन्सी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। वकील अप्रार्थिनी द्वारा पेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना वर्तमान में राज. भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के विलोपित होने के साथ ही शून्य हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाए।

पेज लगातार.....02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व प्रकरण सं. /2022 GCMS NO: 2022/59
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम सोनी देवी
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील अप्रार्थिनी की बहस है कि राज. सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.6(5)राज–6/2001/32 दिनांक 28.05.2002 के तहत (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 5–क के तहत् 2500 वर्गमीटर तक प्रत्येक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य करने की छूट दी गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली मय दस्तावेज, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 842/116 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द (दिनांक:20.01.2022) के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 842/116 किस्म बारानी सोयम मौजा पुनाडिया में अवस्थित है जो एक कृषि योग्य भूमि है। उक्त खसरे का संपूर्ण रकबा यानि 0.0800 हैक्टेयर का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर श्रीराम मार्बल के नाम से कारखाना खोलकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। उपरोक्त दस्तावेजों से इस तथ्य की भली–भाँति पुष्टि होती है। वहीं वकील अप्रार्थिनी द्वारा पेश अधिसूचना क्रमांक प.6(5)राज–6/2001/32 दिनांक 28.05.2002 वर्तमान में प्रवृत्त नहीं है, क्योंकि राज. भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा सन् 2007 में संपरिवर्तन के नए नियम बनाए है। नए नियमों में खातेदार को पूर्व में दी गई अकृषि कार्यो की छूट के समान छूट देय नहीं है। अतः खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कारखाना खोलकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक खाता राजस्थान सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पुनाडिया तहसील बाली; खसरा नंबर 842/116 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से अप्रार्थी खातेदार सोनी देवी पत्नि कुपाराम हि. पुर्ण जाति जणवा निवासी रडावा तहसील बाली जिला पाली (राज.) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। अप्रार्थी सोनी देवी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/269 दिनांक 02.02.2022 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश अभिन्न अंग रहेगा। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **15.05.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

प्रदेश सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– बाली

बईजलास :– श्री दिनेश बिश्नोई, आर०ए०एस०

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. सोनीदेवी पत्नि कूपाराम जाति जणवा निवासी रडावा तहसील बाली जिला पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० : रा० प्रा०प० स०: /2022 GCMS No:-2022/59

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री तहसीलदार बाली, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री .....–....., अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी **ग्राम पुनाडिया, तहसील– बाली, खसरा नंबर–842/116, कुल रकबा 0.0800 बीघा मौजा पुनाडिया किस्म बारानी सोयम** से अप्रार्थी खातेदार **सोनीदेवी पत्नि कूपाराम जाति जणवा निवासी रडावा तहसील बाली जिला पाली (राज.)** के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। **अप्रार्थी सोनीदेवी पत्नि कूपाराम** को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–..... बाबत.....–..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.. .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **15.05.2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धयलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकलातनामा	
स्टाम्प वकलातनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–		मिजानः–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जाये।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)